

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन
अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. ईसीआई/प्रेसनोट/90/2020

दिनांक: 19 नवंबर, 2020

प्रेस नोट

विषय: बिहार से राज्य सभा का उप-निर्वाचन-तत्संबंधी

बिहार से राज्य सभा का एक आकस्मिक पद रिक्त है जिसका विवरण निम्नलिखित है:-

राज्य	सदस्य का नाम	कारण	रिक्ति की तारीख	कार्यकाल की अवधि
बिहार	श्री रामविलास पासवान	मृत्यु	08.10.2020	02.04.2024

2. आयोग द्वारा बिहार से राज्य सभा की उक्त रिक्ति को भरने के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार उप-निर्वाचन कराने का निर्णय लिया गया है:

क्र.सं.	कार्यक्रम	तारीख
1.	अधिसूचना जारी करने की तारीख	26 नवंबर, 2020 (गुरुवार)
2.	नाम-निर्देशन करने की अंतिम तारीख	3 दिसंबर, 2020 (गुरुवार)
3.	नाम-निर्देशनों की संवीक्षा करने की तारीख	4 दिसंबर, 2020 (शुक्रवार)
4.	अभ्यर्थिता वापिस लेने की अंतिम तारीख	7 दिसंबर, 2020 (सोमवार)
5.	मतदान की तारीख	14 दिसंबर, 2020 (सोमवार)
6.	मतदान का समय	प्रातः 9.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक
7.	मतगणना	14 दिसंबर, 2020 (सोमवार) को अपराह्न 5.00 बजे
8.	वह तारीख, जिससे पहले निर्वाचन संपन्न करवा लिया जाएगा	16 दिसंबर, 2020 (बुधवार)

3. संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान सभी व्यक्तियों द्वारा पालन किए जाने वाले विस्तृत दिशा-निर्देश:-

- निर्वाचन से संबंधित प्रत्येक कार्य के दौरान प्रत्येक व्यक्ति मास्क पहनेगा।
- निर्वाचन प्रयोजन हेतु प्रयुक्त हॉल/कमरा/परिसरों के प्रवेश द्वार पर:
(क) सभी व्यक्तियों की थर्मल स्कैनिंग की जाएगी;
(ख) सभी स्थानों पर सैनिटाइजर प्रदान किए जाएंगे।
- राज्य सरकार और गृह मंत्रालय के मौजूदा कोविड-19 दिशा-निर्देशों के अनुसार सामाजिक दूरी रखी जाएगी।

4. मुख्य सचिव, बिहार को निर्देश दिया जा रहा है कि निर्वाचन संचालन हेतु व्यवस्थाएं करते समय कोविड-19 के रोकथाम उपाय संबंधी मौजूदा अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए वे राज्य से एक वरिष्ठ अधिकारी की तैनाती करें।
5. इसके अतिरिक्त, आयोग ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार को इस निर्वाचन के लिए प्रेक्षक के रूप में नियुक्त किया है।

ह./-
(प्रफुल अवस्थी)
अवर सचिव